न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	21.05.2025	03.07.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चोराहा डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी पुराना बाजार डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक (राज0)। मोबाईल नं0 9828035671

2–श्री कृष्णा कुमारी पत्नि श्री रामेश्वर दयाल प्रोपरायटर मैसर्स एम.आर.एण्ड कम्पनी यूको बैंक के पास डीग रोड कुम्हेर जिला भरतपुर राज0। निवासी पीतलिया मोहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर राज0। मोबाईल नं0 7742101211

.........अप्राथी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी सं0 1 श्री कालूराम जैन स्वयं एवं
निर्माता फर्म प्रतिनिधि श्री पुनित खण्डेलवाल उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 03/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.03.2025 को समय 03:25 पी.एम. पर मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चोराहा डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चोराहा डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री कालू राम जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, चीनी, घी, आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** की 200–200 ग्राम के 18 पैकेट पोली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय के दुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** 200–200 ग्राम के 18 पैकेट जिसके बैच नम्बर 24 एवं पैकिंग की दिनांक 16 जनवरी–2025 थी, **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** की 200–200 ग्राम के 12 नग मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** 200–200 ग्राम के 12 नग कुल 2400 ग्राम 12 पैकेटों को अलग–अलग 4 भागों में बाटकर ज्यों का त्यों अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4306 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4306 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री कालू राम जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रैडर्स छाया मार्केट जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स एम.आर.एण्ड कम्पनी यूको बैंक के पास डीग रोड कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/389 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/1033/एक्ट/2025/ /1038 दिनांक 27.03.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 श्री कालूराम जैन स्वयं एवं निर्माता फर्म प्रतिनिधि श्री पुनित खण्डेलवाल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी, निर्माता फर्म के प्रति एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर कुम्हेर गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक (Coriander Powder Kumher Gold Brand poly pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता हैं कि जब्त किए गए खाद्य पदार्थ के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0